बिहार सरकार
परिवहन विभाग

आदेश

संप्तसं0–05 / स्था0 (आरोप)–09 / 2017..........3404 पटना, दिनांक– 29/6/17

श्री विवेक राज, लिपिक (निलंबित) जिला परिवहन कार्यालय, रोहतास, सासाराम को कर्तव्यहीनता एवं लापरवाही तथा कार्यों के प्रति उदासीनता के कारण थाना कांड सं0–330 / 2017 दिनांक–16.03.2017 दर्ज किये जाने तथा न्यायिक हिरासत में रहने के कारण विभागीय आदेश संख्या–3399 दिनांक–28.06.2017 द्वारा निलंबित किया है, तथा आरोप गठित कर विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है।

2. श्री राज के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 / 19 के संगत प्रावधानों के तहत संलग्न प्रपत्र 'क' में गठित आरोपों पर विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया जाता है।

3. विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं जिला परिवहन पदाधिकारी, रोहतास सासाराम को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

संचालन पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि तीन माह के अन्दर जाँच कर जाँच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

ह0 / –
राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–..........3404.......... / पटना, दिनांकः–..........29/6/17

E-mail

प्रतिलिपिः–श्री विवेक राज, लिपिक (संप्रति निलंबित) जिला परिवहन कार्यालय, रोहतास, सासाराम को आरोप पत्र (प्रपत्र–'क') की प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. श्री विवेक राज, लिपिक (निलंबित) को निदेश दिया जाता है कि वे अपना लिखित बचाव बयान एक पक्ष के अन्दर संचालन पदाधिकारी को समर्पित करें।

ह0 / –
राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–..........3404.......... / पटना, दिनांकः–..........29/6/17

E-mail.

प्रतिलिपिः–संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पटना–सह–संचालन पदाधिकारी / जिला परिवहन पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम–सह–प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी को आरोप पत्र एवं साक्ष्य की प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

प्रपत्र 'क'

सरकारी सेवक का नाम :– श्री विवेक राज

पदनाम :– लिपिक

समूह :– "ग"

वेतन बैंड/ग्रेड पे :– PB I, 5200–20200 ग्रेड पे– 1900

जन्म तिथि :– 09.10.1989

सेवा निवृति की तिथि :– 31.10.2049

क्र0	आरोप सारांश	आरोप/लांछन का अभिकथन	साक्ष्य
1	2	3	4
1	कर्त्तव्यहीनता (एवं लापरवाही)	दिनांक 16.03.2017 को 11:45 बजे पूर्वाह्न में अपर समाहर्त्ता, रोहतास, सासाराम एवं अनुमंडल पदाधिकारी, सासाराम द्वारा जिला परिवहन कार्यालय, रोहतास, सासाराम के कार्यालय में औचक निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि लर्निंग लाईसेंस का वितरण/निर्गत करने संबंधी पंजी का संधारण आपके द्वारा नहीं किया जा रहा है, जो आपके कार्य के प्रति कर्त्तव्यहीनता एवं लापरवाही तथा उदासीनता को द्योतक है।	विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय प्रशाखा, रोहतास, सासाराम का पत्रांक 721/गो0, दिनांक 16.03.17 के अनुलग्नक सहित तीन पन्ना।
2	अनियमितता	जिला परिवहन कार्यालय, रोहतास, सासाराम में ड्राईविंग लाईसेंस सत्यापन के पश्चात् कार्यालय द्वारा बिना पत्रांक/दिनांक दर्ज किये केवल हस्ताक्षर से निर्गत किये जा रहें है, तथा ड्राईविंग लाईसेंस सत्यापन करने के पश्चात् सत्यापन प्रतिवेदन बिना निर्गत किये उपलब्ध कराया जाता है, तथा सत्यापन से संबंधित कोई भी पंजी कार्यालय में संधारित नहीं है। कार्यालय में पंजी संधारित नहीं रहने के कारण पुनः सत्यापन किया जाना संभव नहीं हो पायेगा, जो इनके अनियमितता का द्योतक है, तथा जिसके लिए आप दोषी होते है। कार्यालयों की पंजीयों एवं पत्रों के रख–रखाव भी नियमानुकूल नहीं है, जो आपके द्वारा दायित्वों के निर्वहन में उदासीनता एवं अरूचि का **परिचायक है।** इस प्रकार आपके द्वारा बिहार सरकारी सेवक आचरण नियमावली 1976 के नियम 3 (i) का (i) 3 (i) का (ii) एवं 3 (i) का (iii) का उल्लघन किया गया है, तथा इसके लिए आप दोषी है।	विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय प्रशाखा, रोहतास, सासाराम का पत्रांक 721/गो0, दिनांक 16.03.17 के अनुलग्नक सहित तीन पन्ना।

152 23/3/17

जिला परिवहन पदाधिकारी,
रोहतास, सासाराम।

24/3

अपर समाहर्त्ता
रोहतास, सासाराम

जिला पदाधिकारी,
रोहतास, सासाराम।

प्रपत्र क
(जिला गोपनीय प्रशाखा)

पत्रांक–721/गो0,

ज्ञानेन्द्र कुमार, बि.प्र.से.
विशेष कार्य पदाधिकारी,
जिला गोपनीय प्रशाखा,
रोहतास, सासाराम।

सेवा में,

जिला परिवहन पदाधिकारी
रोहतास, सासाराम।

सासाराम, दिनांक–16-03-2017

विषय : **अपर समाहर्त्ता, रोहतास द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन पत्रांक–322, दिनांक–16.03.2017 के आलोक में कार्रवाई करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के उपांत में जिला पदाधिकारी, रोहतास द्वारा अंकित निदेश का अनुपालन कर अनुपालन प्रतिवेदन भेजने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक – यथोक्त।

विश्वासभाजन
16/03/17
(ज्ञानेन्द्र कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी,
जिला गोपनीय प्रशाखा,
रोहतास, सासाराम।

आज दिनांक 16.03.2017 (गुरूवार) को 11:45 बजे पूर्वाह्न में जिला पदाधिकारी, रोहतास के निदेशानुसार अनुमंडल पदाधिकारी, सासाराम एवं अधोहस्ताक्षरी द्वारा जिला परिवहन कार्यालय का औचक निरीक्षण प्रतिवेदन :–

जिला पदाधिकारी के निदेशानुसार अनुमंडल पदाधिकारी, सासाराम एवं अपर समाहर्त्ता, रोहतास द्वारा जिला परिवहन कार्यालय, रोहतास के काउंटरों पर उपलब्ध दस्तावेजों की जांच की गई, जाँच के क्रम में निम्नलिखित तथ्य पाये गये :

- लर्निंग लाईसेंस प्राप्त करने हेतु कुछ लोग पंक्ति में लगे थे। लर्निंग लाईसेंस निर्गत करने हेतु लोक सेवा अधिकार अधिनियम के तहत 15 दिन की अवधि निर्धारित की गई है। निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि काउंटर से 30 नवंबर, 2016 तक के ही लाईसेंस वितरित किये जा रहे हैं। इस संबंध में प्रधान सहायक श्री विवेक राज द्वारा बताया गया कि 24 दिसंबर, 2016 से लर्निंग लाईसेंस हस्ताक्षर हेतु लंबित है। जबकि काउंटर पर नवबंर, 2016 तक का ही लर्निंग लाईसेंस वितरण हेतु उपलब्ध पाया गया। लाईसेंस निर्गत/वितरण हेतु पंजी का संधारण नहीं किया गया था।
- काउंटर सं0–01 पर श्री विपिन कुमार द्वारा लर्नर लाईसेंस के लिये चालान सं0–16219958, 16219959, 16219960 दिनांक 16.03.2017 को क्रमशः समय 9:11 9:12, 9:13 बजे पूर्वा0 में काटे गये थे। जबकि कार्यालय खुलने का समय सुबह 10 बजे निर्धारित है। श्री विपिन कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर द्वारा बताया गया कि उपर्युक्त तीनों चालान श्री कुणाल किशोर, कंप्युटर ऑपरेटर द्वारा काटा गया है।
- काउंटर सं0–4 पर ऑपरेटर श्री कुणाल किशोर के पास प्राप्त किये गये कैश कलेक्शन 61 चालान के विरूद्ध 2,96,452/– रूपये में से मात्र रूपये 1,85,500/– ही उपलब्ध पाया गया। जबकि श्री किशोर द्वारा बताया गया कि क्र. सं. 01 से 19 तक चालान सं0 सुदर्शन होंडा एजेंसी का है। उनके द्वारा चालान जमा किया गया परन्तु पैसा बैंक जाने से पहले दिया जायेगा, इस आधार पर इंट्री किया गया। सुदर्शन होंडा के प्रतिनिधि श्री अमित कुमार द्वारा बताया गया कि मेरे द्वारा 11:30 बजे पूर्वा0 में 25 (पचीस) आवेदन रजिस्ट्रेशन हेतु उपलब्ध कराया गया, परन्तु काउंटर सं0–04 पर प्रतिनियुक्त ऑपरेटर श्री कुणाल किशोर द्वारा 19 आवेदन का इंट्री किया गया था। उनके द्वारा कहना था कि 06 (छः) आवेदन अत्याधिक भीड़ के कारण बाद में इंट्री किया जायेगा। उपर्युक्त एजेंसी द्वारा हस्तगत कराये गये वाहनों का चालान क्रम दिनांक 16.03.2017 को काटे गये क्रमांक 1 से 19 क्रम का है। स्पष्टतः दोनों की बातों में समानता नहीं है।
- जिला परिवहन कार्यालय में ड्राईविंग लाइसेंस सत्यापन के पश्चात् कार्यालय द्वारा बिना पत्रांक/दिनांक दर्ज किये केवल हस्ताक्षर से निर्गत किये गये हैं। श्री विवके राज, प्रधान सहायक द्वारा बताया गया ड्राईविंग लाईसेंस सत्यापन करने के पश्चात् सत्यापन प्रतिवेदन बिना निर्गत किये उपलब्ध कराया जाता है तथा सत्यापन से संबंधित कोई भी पंजी कार्यालय में संधारित नहीं है। कार्यालय में पंजी संधारित नहीं रहने के कारण पुनः सत्यापन किया

पायगा।

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि कार्यालय की पंजियों एवं पत्रों का रख–रखाव नियमानुकूल नहीं किया जा रहा है। सहायक/ऑपरेटर नियमों के विपरीत कार्य कर रहे हैं। प्रधान सहायक अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। कार्यालय में व्याप्त अनियमितता एवं बिचौलियों की संलिप्तता में ऑपरेटर एवं प्रधान सहायक की संलिप्तता प्रतीत होती है। इनके विरूद्ध कानूनी एवं विभागीय कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है।

अनुलग्नक : 61 आवेदनों की सूची।

16/3/17
अनुमंडल पदाधिकारी
सासाराम, रोहतास।

16/3
अपर समाहर्त्ता,
रोहतास, (सासाराम)।